

कोलायत से इस बाबत रिपोर्ट ली गई।
तत्तमीलद्वार (राजस्व) कोलायत ने पत्र
क्रमांक 320 दिनांक 19/10/2022 के द्वारा
रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि पार्थी का नाम
राधेश्याम पुत्र धन्नाशम, जह नि० भाणेका
गांव है। पार्थी का नाम लालूराम के स्थान
पर राधेश्याम पुत्र धन्नाशम शुद्ध किया
जाना उचित है।

पार्थीना पत्र निस्तारण के लिए बहुत
समायत की गयी। पार्थी के पत्नी ने
नाम शुद्धि किये जाने की इस्तदुआ की।

पैरीकार राज ने भी बहुत में नाम
शुद्धि किये जाने बाबत अपनी सहमति
पत्र की है।

हमने पार्थीना पत्र में वर्णित तथ्यों
एवं धरम पर मनन किया एवं अवलोकन
किया। तत्पश्चात् हम इस निस्तारण पर
पहुंचे कि पार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड
भाणेका गांव के खेत खसरा नम्बर 88
तादादी 21.9200 हेक्टेयर, ग्राम जानासर
के खसरा नम्बर 115 तादादी 2.11 हेक्टेयर
एवं भूमि ग्राम भूमि नाहर सिंह के खसरा
नम्बर 98 तादादी 12.6000 हेक्टेयर भूमि
में पार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में
लालूराम के स्थान पर वास्तविक नाम
राधेश्याम पुत्र धन्नाशम जाति जाट
निवासी भाणेका गांव अंकन किया जाकर
राजस्व रिकार्ड में शुद्धि कर राजस्व रिकार्ड

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

में संशोधन कर दर्ज किया जावे।
तत्कालीन शर (राजस्व) कोलायत को
निर्णय की प्रति वाले पातनार्थ उपेक्षित
की जावे।

उर्ध्वी का नाम राजस्व रिजार्ड में
संशोधन कर पातना करें।

उर्ध्वना पत्र पत्रावली फैसल शुमार
होकर हस्त जाळा कारिकत दफ्तर ले।
निर्णय आज दिनांक 01/12/2022 को
सरे इजलास सुनाया गया।

रफखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर